बालक न्यायालय, बांसवाड़ा,

राजस्थान

पीठासीन अधिकारी - राम सुरेश प्रसाद,

(जिला एवं सत्र न्यायाधीश)

सत्र विचारण संख्या - 121/2024

राजस्थान राज्य - अभियोजन

बनाम

अनिल पिता धुलिया, निवासी कंसारवाड़ी, पुलिस थाना कंसारवाड़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.) - अभियुक्त

प्रतिनिधित्व -

1. श्री योगेश सोमपुरा, लोक अभियोजक।
2. श्री प्रवीणचन्द्र सुथार, अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

<u>निर्णय</u>

दिनांक 07 जुलाई, 2026

1. इस प्रकरण में अभियुक्त अनिल के विरूद्ध पुलिस थाना कंसारवाड़ी की प्रथम सूचना प्रतिवेदन संख्या 110/2024 में प्रस्तुत आरोप पत्र पर संज्ञान लिया जाकर अपराध अन्तर्गत धारा 84 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जिसे एतद्पश्चात् आवश्यकता पड़ने पर संक्षेप में "अधिनियम, 2015" शब्द से संबोधित किया जायेगा) सपठित धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप का निस्तारण किया जा रहा है।

2. संक्षेप में अभियोजन के वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 24.06.2024 को सूचक कोवरसिंग ने पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा के समक्ष एक टंकित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसकी पुत्री सुश्री सुमिला जन्म दिनांक 03.07.2009, आयु 14 वर्ष, की है जो कक्षा 9वीं में पढ़ती है। घटना दिनांक 08.05.2024 को सुबह 6.00 बजे उसकी पुत्री सुमिला घर के बाहर साफ-सफाई कर रही थी। वह अपने खेतों की तरफ गया हुआ था और उसकी पत्नी घर में काम कर रही थी कि तभी अभियुक्त अनिल मोटर साईकिल पर अपने एक अन्य साथी के साथ आया और उसकी पुत्री को डरा-धमका कर जबरन मोटर साईकिल पर अपने साथ बिठा कर ले गये। उसकी पुत्री के चिल्लाने की आवाज सुन कर उसकी पत्नी दौड़ कर बाहर आई तब तक अभियुक्त आगे निकल गया था जिसे जाते हुए उसकी पत्नी ने देखा। अभियुक्त उसकी पुत्री को पत्नी बनाने की

नियत से अपहरण कर ले गया है। इस पर वह व उसकी पत्नी दोनों अभियुक्त के घर गये, जहां पर उन्हें अभियुक्त का पिता धुलिया, माता श्रीमती रमीला आदि लोग मिले जिनको उन्होंने सारी बात बताई तो उन्होंने उनकी लड़की सौंप देने का वादा किया, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की। लगातार सम्पर्क के बावजूद अभियुक्त के माता-पिता ने उन्हें कहा कि उनका लड़का अनिल लड़की सुमिला को पत्नी बना कर अपने साथ अहमदाबाद, गुजरात ले गया है, अब तुम्हें तुम्हारी लड़की कभी नहीं मिलेगी। उसकी पुत्री की तलाश कर अभियुक्त से छुड़ा कर उसे सुपुर्द किया जाना आवश्यक है...........इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना कंसारवाड़ी, में एफ.आई.आर. संख्या 110/2024 अपराध अंतर्गत धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3. अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत होने पर धारा 84 जे.जे. एक्ट तथा धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत संज्ञान लिया गया। आरोप-पत्र मय दस्तावेज अभियुक्त को जरिये अधिवक्ता दिलवाई गई।

4. बहस आरोप उभय पक्ष की सुनी जाकर अभियुक्त को धारा 84 अधिनियम, 2015 सपठित धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप विरचित कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्त ने आरोप सुन समझकर अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन ने साक्ष्य के दौरान अभियोजन साक्षी संख्या 01 कुंवर सिंह, अभियोजन साक्षी संख्या 02 धापुडी, अभियोजन साक्षी संख्या 03 सुमिला, अभियोजन साक्षी संख्या 04 संगीता एवं अभियोजन साक्षी संख्या 05 नरेन्द्र सिंह के कथन लेखबद्ध करवाये तथा प्रलेखीय साक्ष्य में 18 दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाये।

6. साक्ष्य अभियोजन के समापन पर अभियुक्त के कथन धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना एवं उसे झूठा फंसाना कहा।

7. दौराने बहस विद्वान लोक अभियोजक का निवेदन रहा है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्यों से अभियुक्त अनिल द्वारा सूचक की पुत्री सुमिला, जोकि वक्त घटना अवयस्क थी, का व्यपहरण करने का अपराध कारित किया जाना साक्ष्यों से साबित है। ऐसे में अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाए।

इसके विपरीत अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिये हैं कि अभियोजन की ओर से परीक्षित महत्वपूर्ण साक्षी स्वयं पीड़िता एवं उसके माता-पिता की साक्ष्य परस्पर विरोधाभासी होकर अभियोजन के मामले पर संदेह

उत्पन्न करती है। प्रकरण में सूचक अ. सा. संख्या 01 कुंवरसिंह की साक्ष्य में भी विरोधाभास है जहां सूचक ने रिपोर्ट में वक्त घटना मौके पर मौजूद होना बताया है, वहीं साक्ष्य में वक्त घटना अहमदाबाद में होना कहता है। साक्षीयों की साक्ष्य में अभियुक्त से संगीता के प्रेम विवाह को लेकर विवाद होना तथा उक्त विवाद में हुए भांजगड़े के रुपये अभियुक्त द्वारा नहीं देने पर यह मुकदमा दर्ज करना कहा है, जो तथ्य अभियोजन की कहानी पर संदेह उत्पन्न करने वाला है। अभियोजन पक्ष मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतएव अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

8. मैंने उभयपक्षों के तर्कों पर विचार कर पत्रावली का परिशीलन किया। अब मेरे समक्ष अवधार्य बिन्दु यह है कि –

क्या अभियुक्त ने दिनांक 08.05.2024 की सुबह करीब 6.00 बजे मौजा बगायचा हिम्मतगढ़ से सूचक की पुत्री सुश्री सुमिला, आयु करीब 14 वर्ष, को विधिपूर्ण संरक्षक की अनुमति/सहमति के बिना जबरन अपने साथ ले जाकर उसका व्यपहरण किया ?

विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में पत्रावली पर आये साक्ष्यों का मूल्यांकन करते हैं -

9. पत्रावली पर आई साक्ष्यों के आधार पर सर्वप्रथम वक्त घटना पीड़िता की आयु के संबंध में विचार किया जावे, तो इस संबंध में अभियोजन की ओर से पत्रावली पर पीड़िता सुमिला के शैक्षणिक दस्तावेजात् को प्रदर्शित करवाया गया है, जो प्रदर्श 13 से 16 हैं, परन्तु अभियोजन की ओर से उक्त दस्तावेजात् को जारी करने वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापक अथवा अन्य किसी प्राधिकृत व्यक्ति को न्यायालय में परीक्षित नहीं करवाया है, ऐसी स्थिति में दस्तावेजात् की अन्तर्वस्तु बाबत कथन का अभाव रहा है, जिससे दस्तावेज की अन्तर्वस्तु को साबित नहीं माना जा सकता है। स्वयं पीड़िता आ. सा. संख्या 03 सुमिला ने साक्ष्य में अपनी जन्म दिनांक के संबंध में कोई कथन नहीं किया है, न ही पीड़िता के माता-पिता अ. सा. संख्या 01 कुंवरसिंह एवं अ. सा. संख्या 02 धापुडी ने पीड़िता की आयु/जन्म दिनांक के संबंध में कोई कथन किया है। इस प्रकार से पीड़िता का वक्त घटना अवयस्क होने का तथ्य ठोस साक्ष्य के अभाव में साबित नहीं माना जा सकता है।

10. हस्तगत प्रकरण के महत्वपूर्ण गवाह स्वयं पीड़िता अभियोजन साक्षी संख्या 03 सुमिला ने कहा है कि अनिल उसके जीजाजी लगते हैं। अनिल उसे जबर्दस्ती घर से भगा कर गुजरात ले गया था। गुजरात में जहां रखा उस जगह का नाम उसे पता नहीं। 10 दिन बाद उसने उसके पिता को कॉल

किया और वो उसे ले गये। फिर पापा ने रिपोर्ट दी। साक्षी ने फर्द दस्तयाबी प्रदर्श पी.02, मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी.03 एवं धारा 164 द.प्र.सं. के बयान प्रदर्श पी.04 पर अपने हस्ताक्षर होना कहा है। प्रति-परीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि संगीता द्वारा अनिल से प्रेम विवाह कर लेने के कारण उसके पिता एवं उसके बड़े पापा का परिवार अनिल से नाराज था। यह भी स्वीकार किया है कि उनके इस प्रकार का कोई विवाद होने पर भांगजड़ा होता है। उनके अनिल के साथ भांगजड़ा हुआ था उसमें तय राशि अनिल ने नहीं दी, उसी कारण से उसके परिवार व उसके बड़े पापा के परिवार का विवाद अनिल के साथ चल रहा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके पिता एवं उसके बड़े पापा अनिल व संगीता का प्रेम विवाह तुड़वाना चाहते थे और उसका दूसरी जगह नाता करवाना चाहते थे इस वजह से उसके पापा ने अनिल के विरूद्ध यह रिपोर्ट थाने में दी। इस प्रकार स्वयं पीड़िता की साक्ष्य में भारी विरोधाभास सामने आया है। जहां पीड़िता ने मुख्य परीक्षा में अभियुक्त अनिल द्वारा उसे जबर्दस्ती घर से भगा कर गुजरात ले जाना कहा है, वहीं प्रति-परीक्षण में अभियुक्त अनिल एवं संगीता के प्रेम विवाह को तुड़वाने के लिये अपने पापा द्वारा अभियुक्त अनिल के विरूद्ध रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाना कहती है। साक्षी ने भांजगड़ा होना एवं अनिल द्वारा रूपये नहीं देने के कारण उसके परिवार एवं उसके बड़े पापा के परिवार का विवाद अनिल से होना कहा है। इसके अलावा साक्षी ने प्रति-परीक्षण में प्रदर्श पी.04 धारा 164 द.प्र.सं. के बयान के सी से डी 'मैं अपनी मर्जी से गई थी', ई से एफ 'मुझे कोई बहला फुसला कर लेकर नहीं गया था' तथा जी से एच 'मैं अपने माता-पिता के चिल्लाने की वजह से बहन और जीयाजी के साथ अहमदाबाद गई थी। मैं अपनी मर्जी से अपनी बहन और जीयाजी के साथ गई थी' को सही होना बताया है। ऐसे में पीड़िता की साक्ष्य घोर विरोधाभास से ग्रसित होकर, अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विश्वसनीय एवं ठोस प्रकृति की नहीं रही है।

इसी क्रम में अ. सा. संख्या 01 कुंवर सिंह ने कहा है कि वह एवं उसकी पत्नी अहमदाबाद मजदूरी के लिए गए हुए थे। घटना के करीब बीस दिन पहले घर पर मौत हो गई थी तो वे घर आये थे तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी सुमिला घर पर नहीं थी। उन्होंने सुमिला को ढूंढा तो वह नहीं मिली। फिर उनको संगीता ने बताया कि वह अनिल से प्रेम करती है। साक्षी ने थाने पर रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 देना तथा फर्द दस्तयाबी प्रदर्श पी.02 होकर फर्दों पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। प्रति-परीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के वक्त वह अहमदाबाद में था। यह भी स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री सुमिला गई, तब घर पर कोई नहीं था। यह भी स्वीकार किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट करीब एक माह बाद दी थी। यह भी स्वीकार किया है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 में क्या लिखा

है, वह उसे नहीं पता। यह भी स्वीकार किया है कि उसके भाई की बेटी संगीता अभियुक्त अनिल से प्रेम करने के कारण दोनों ने भाग कर करीब छह वर्ष पूर्व शादी कर ली थी जिस बात को लेकर वे नाराज थे। यह भी स्वीकार किया है कि प्रेम विवाह के कारण अनिल व संगीता का उनके घर आना-जाना नहीं था। यह भी स्वीकार किया है कि अनिल से उनका झगड़ा अर्थात् लेनदेन नहीं हुआ था जिस कारण मुकदमा दर्ज करवाया था। पीड़िता की माता अ. सा. संख्या 02 धापुडी ने बताया है कि आज से एक साल पहले वह व उसके पति घर पर थे। सुमिला को अनिल भगा कर ले गया था। फिर उन्होंने केस किया था। फिर वे लड़की को घर पर ले आये। फिर उसके पति ने केस किया। प्रति-परीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि संगीता द्वारा अनिल के साथ प्रेम विवाह करने के कारण उसके व उसके जेठ का परिवार अनिल से नाराज था। यह भी स्वीकार किया है कि प्रेम विवाह के बाद उनके भील भांजगड़ा नहीं हुआ तथा कोई लेनदेन भी नहीं हुआ। यह भी स्वीकार किया है कि उनको भांजगड़ा/लेनदेन नहीं होने से अनिल के साथ उनकी दुश्मनी हो गई। यह भी स्वीकार किया है कि संगीता का दूसरी जगह नाता करवाना चाहते थे तथा उस नाते को करने के लिए उन्होंने यह झूठा केस किया है। इस प्रकार पीड़िता के पिता एवं माता द्वारा साक्ष्य में परस्पर विरोधाभासी कथन सामने आये हैं। जहां पीड़िता के पिता अ. सा. संख्या 01 ने वक्त घटना अहमदाबाद में होने का स्पष्ट कथन किया है, वहीं पीड़िता की माता अ. सा. संख्या 02 ने अपना एवं अपने पति का घर पर होना कहा है। दोनों ही साक्षीयों ने प्रति-परीक्षण में प्रेम विवाह की बात को लेकर अनिल से विवाद होना स्पष्टतया स्वीकार किया है। सूचक अ. सा. संख्या कुवर सिंह ने तो यह भी स्पष्टतया स्वीकार किया है कि अनिल से उनका झगड़ा अर्थात् लेनदेन नहीं हुआ था, जिस कारण मुकदमा दर्ज करवाया था। सूचक ने साक्ष्य में प्रदर्श पी.01 घटना से करीब एक माह पश्चात् देना स्वीकार किया है तथा प्रदर्श पी.01 टाईपशुदा होकर क्या लिखा है पता नहीं होना कहता है। इस प्रकार से इन दोनों ही महत्वपूर्ण साक्षीयों की साक्ष्य भी विरोधाभासी होकर अभियोजन की कहानी पर संदेह उत्पन्न करती है।

प्रकरण में अन्य साक्षीयों में अ. सा. संख्या 04 संगीता पक्षद्रोही रही है जिसने बताया है कि वह किसी घटना के व कार्यवाही के बारे में नहीं जानती है। पुलिस में उसके कोई बयान लेखबद्ध नहीं हुए। लोक अभियोजक की जिरह में साक्षी ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी.05 को सुन कर लिखवाये जाने से इन्कार किया। प्रति-परीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अनिल के साथ उसका प्रेम विवाह हुआ था। उनके प्रेम विवाह की बात को लेकर उसके परिवार व अनिल के बीच विवाद चल रहा था। भांजगड़े की राशि अनिल द्वारा नहीं देने के कारण यह मुकदमा किया गया है। प्रकरण का अनुसंधानक अ. सा. संख्या 05 नरेन्द्र

सिंह ने प्रकरण में संपूर्ण अनुसंधान करना तथा अनुसंधान से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप-पत्र प्रदर्श पी.18 न्यायालय में पेश करना कहा है, किन्तु न्यायालय के विनम्र मत में अनुसंधान अधिकारी द्वारा अपने राजकीय कर्तव्य के निर्वहन में स्वयं के द्वारा किये गये अनुसंधान का समर्थन करेगा, जिसकी साक्ष्य पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं किया जा सकता जहां कि अन्य महत्वपूर्ण साक्षीयों पीड़िता एवं पीड़िता के माता-पिता की साक्ष्य में भारी विरोधाभास सामने आया है तथा जिनकी साक्ष्य से अभियोजन की कहानी पर घोर संदेह उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त अनिल पिता धुलिया को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 84 अधिनियम, 2015 सपठित धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

12. परिणामस्वरूप अभियुक्त अनिल पिता धुलिया, निवासी कंसारवाड़ी, पुलिस थाना कंसारवाड़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 84 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 सपठित धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त की ओर से पूर्व में उपस्थिति बाबत् प्रस्तुतशुदा जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। इस न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध की जाने वाली अपील या याचिका में उपस्थिति बाबत अनिल की धारा 437(क) द.प्र.सं. के अधीन प्रस्तुत प्रतिभूति सहित जमानत पत्र आगामी छह माह तक प्रभावी रहेगी।

(राम सुरेश प्रसाद)

13. निर्णय आज दिनांक 07.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राम सुरेश प्रसाद)